

**ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं
का अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016**

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती शांता देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमती रंजना कुमारी	23.1.16 से 31.3.16

सचिव:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	1.4.13 से 7.8.13
2	श्री अश्वनी कुमार	8.8.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत गुरियाल के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	8	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न करना	0.20
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	9.16
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	4.26
4	13	सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य का निष्पादन	7.03

भाग-दो

2 वर्तमान अंकक्षण:-

ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.3.17 से 25.3.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 8/14 व 4/15 तथा 12/13, 12/14 व 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकक्षण हेतु अंकक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकक्षण अध्याचना संख्या 257 दिनांक 25.3.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गुरियाल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत गुरियाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्वः स्रोत:- ग्राम पंचायत गुरियाल के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	185937.07	335626	521563.07	353800	167763.07
2014-15	167763.07	541474	709237.07	301535	407702.07
2015-16	407702.07	525566	933268.07	750400	182868.07

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत गुरियाल के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	51719	989052	1040771	986696	54075
2014-15	54075	1252563	1306638	1079721	226917
2015-16	226917	1553793	1780710	864520	916190
स्व:स्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					₹1099058.07

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रमांक	अनुदान का नाम	KCCB राजा का तालाब खाता सं०	राशि
1	सभा निधि/13वां वित्त	20030005390	182868.07
2	Z.P.	50051725527	26342
3	P.S.	50051725583	74903
4	AAY	50051726008	300
5	14 th Fin	50051725742	814645
6	MNREGA	20030005516	0
7	IAY	50051725935	0
जोड़			₹1099058.07

अन्तशेष का विवरण:-

- (क) दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹1099058.07 (1+2)
- (ख) दिनांक 31.3.16 को बैंक में जमा राशि 1099058.07

5 पंचायत राजस्व ₹0.10 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्व: स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹0.10 लाख की वसूली शेष थी।

(1) गृहकर:-

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	5225	10800	16025	150	15875
2014-15	15875	10800	26675	—	26675
2015-16	26675	10800	37475	28900	8575

(2) भू राजस्व

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	—	565	565	—	565
2014-15	565	565	1130	—	1130
2015-16	1130	565	1695	—	1695

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

नोट:— वर्ष 2013-14 का प्रारम्भिक शेष का अभिलेख उपलब्ध ही नहीं करवाया गया।

6 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्वः स्त्रोत जैसे कि गृहकर, भू-राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम-3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियों हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.20 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित

था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष			अर्जित ब्याज (₹)
	2013-14	2014-15	2015-16	
50051725527	680	2125	3881	6686
50051725583	2050	2877	3916	8843
50051726008	257	43	—	300
50051725935	277	546	—	823
20030005516	2872	64	—	2936
योग	6136	5655	7797	19588

9 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹9.16 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹916190 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय

हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.26 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹426417 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमों के विरुद्ध सात बैंक खातों का खोला जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार सात बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त पाँच खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

13 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹7.03 लाख के कार्य निष्पादन बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹702792 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

14 क्रय की गई ₹0.28 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर अभिलेख में इन्द्राज किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 पर ₹27820 की निर्माण सामग्री को क्रय करने उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मस्ट्रोल ₹0.04 लाख के भुगतान बारे:—

ग्राम पंचायत गुरियाल के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा जंज घर गारन के नजदीक दीवार लगाने हेतु मस्ट्रोल ₹3804 का भुगतान दर्शाया गया। यह भुगतान वाउचर संख्या 49 दिनांक 18.12.14 के अन्तर्गत सभी निधि से किया गया मस्ट्रोल की जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल में जारी रजिस्टर का क्रमांक व दिनांक पंचायत प्रस्ताव संख्या व दिनांक मस्ट्रोल की अवधि आदि कुछ भी अंकित नहीं है। औपचारिकताओं के अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अदायगी संदिग्ध प्रतीत होती है। औपचारिकताओं के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित है। अतः अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यो का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)

7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

19 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 105/2017-खण्ड-1-4945-4948 दिनांक 10.08.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता /—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

(परिशिष्ट-2)

(पैरा-11 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्रमांक	निधि	वा0स0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	9/17.6.13	मैसर्ज निखिल मार्वल स्टोर द्वारा पी0वी0सी0 पाईप आदि का भुगतान	9500
2	सभा निधि	10/17.6.13	श्री राम चन्द द्वारा रेत, बजरी आदि की सप्लाई का भुगतान	11400
3	सभा निधि	22/22.8.13	मै0 राजेश हार्डवेयर स्टोर को स्टील/सरिया आदि का भुगतान	24250
4	सभा निधि	33/2.10.13	मै0 महावीर एल्म्यूनियम फिटिंग द्वारा दरवाजों आदि की आपूर्ति का भुगतान	16000
5	सभा निधि	15/17.7.14	मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर हाऊस द्वारा खिड़कियां, पल्लों क आपूर्ति का भुगतान	11000
6	सभा निधि	18/31.7.14	मै0 जय दुर्गा बरीक किलन द्वारा ईन्टों की आपूर्ति का भुगतान	23600
7	सभा निधि	19/31.7.14	मै0 राजेश हार्डवेयर स्टोर द्वारा सरिया की आपूर्ति का भुगतान	9148
8	सभा निधि	20/31.7.14	मै0 जय दुर्गा बरीक किलन द्वारा ईन्टों की आपूर्ति का भुगतान	17700
9	सभा निधि	29/29.9.14	श्री विजय कुमार द्वारा रेत, बजरी की आपूर्ति का भुगतान	17500
9 A	सभा निधि	43/14.11.14	श्री अश्वनी कुमार द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	14600
10	सभा निधि	17/30.9.15	श्री रूप लाल द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	45000
11	पंचायत समिति	1/18.6.15	मै0 जय दुर्गा बरीक किलन द्वारा ईंटों की आपूर्ति का भुगतान	38500
12	पंचायत समिति	5/2.1.16	श्री रूप लाल द्वारा रेत क्रैशर की आपूर्ति का भुगतान	11500
13	जिला परिषद ZP	9/5.11.15	श्री सन्जीव कुमार द्वारा फर्नीचर की आपूर्ति का भुगतान	34200
14	मनरेगा	22/30.8.13	श्री रूप लाल द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	32500
15	मनरेगा	48/31.3.14	श्री अश्वनी द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	22098
16	मनरेगा	2/28.5.15	—यथोपरि—	49500
17	मनरेगा	3/28.5.15	सुनिता देवी द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	38421

योग ₹426417
(परिशिष्ट-3)

(पैरा-13 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना ₹7.03 लाख के कार्य निष्पादन

क्रमांक	अनुदान का नाम	विवरण	राशि
1	सभा निधि	निर्माण शमशान घाट गुरियाल	125000
2	मनरेगा	निर्माण रास्ता शमशान घाट तक झिकली घाट	250000
3	मनरेगा	निर्माण ढंगा श्री किशोरी लाल, बन्ता राम इत्यादि	148892
4	मनरेगा	निर्माण कुहल श्री दरमेल, सुरिन्दर की जमीन के साथ	98900
5	मनरेगा	निर्माण ताबाल वार्ड-5	80000
योग			₹702792

(परिशिष्ट-4)

(पैरा-14 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत गुरियाल, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा क्रय की गई ₹2782

निर्माण सामग्री का भण्डारण भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	9/17.6.13	हि0प्र0 सिविल सप्लाई सीमेन्ट की सप्लाई का भुगतान बिल संख्या 1842 दिनांक 27.4.13 20x232	4640
2	सभा निधि	18/25.7.13	—यथोपरि— बिल 2095 दिनांक 25.7.13 60x231	13860
3	सभा निधि	20/21.8.13	—यथोपरि— बिल 2147 दिनांक 23.8.13 40x233	9320
				27820